राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांकःलीगल/एएण्डएम/1/2012/3547
दिनांकः 7 दिसम्बर , 2015

कार्यालय आदेश

विधि एवं विधिक विभाग द्वारा अपने आदेश कमांक प.12(13)राज/वाद/2015 दिनांक 30.09.2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में निगम के विरूद्ध दायर किसी भी वाद/रिट याचिका/अपील/डी.बी. स्पेशल अपील प्रस्तुत करने तथा ऐसे प्रकरणों में पारित होने वाले निर्णय के विरूद्ध अपील/विशेष अनुमति याचिका दायर करने का निर्णय होने के पश्चात नियत समयावधि में दायर किये जाने के सबंध में सभी सबंधित प्रभारी अधिकारी/अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी को निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. न्यायालय के आदेश पारित होने के दिन अथवा दूसरे दिन निगम के पैनल अधिवक्ता निर्णय/आदेश की प्रमाणित प्रति के लिये आवेदन प्रस्तुत करेंगें एंव निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही अधिक से अधिक 3 दिवस में अपनी सकारण विधिक राय के साथ संबंधित प्रभारी अधिकारी/अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी को भेजेंगे।
2. प्रकरण के प्रभारी अधिकारी/अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी का भी यह उत्तरदायित्व होगा कि निर्णय होते ही निगम मुख्यालय को सूचना देगें तथा संबंधित अधिवक्ता से संपर्क कर निर्णय की प्रमाणित प्रति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करायेंगें। निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही अधिवक्ता की राय व स्वंय की टिप्पणी सहित प्रभारी अधिकारी अधिक से अधिक 7 दिवस में प्रस्तुत करेंगें।
3. प्रभारी अधिकारी का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह अपील/रिट विशेष अनुमति याचिका नोडल अधिकारी को भी निर्णय की सूचना देवें ।
4. निगम मुख्यालय पर सबंधित अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से निर्णय की प्रति प्राप्त होते ही तत्काल अपनी टिप्पणी के साथ अभिलेख नियत्रंक अधिकारी को प्ररतुत करेंगें। यदि समान बिन्दु पर कोई पूर्व निर्णय हुआ हो तो उस निर्णय का उल्लेख करते हुए उस पूर्व निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने/नही करने की स्थिति से अवगत कराते हुए अपील /नो अपील के संबंध मे अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेंगें।
5. विधि प्रकोष्ठ द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि निर्णय की प्रति विलम्ब से तो प्रस्तुत नही की गई है। यदि विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तो इसकी सूचना संबंधित नियंत्रक अधिकारी को दी जायेगी जो उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकेंगे।
6. निर्णय के विरुद्ध अपील दायर किये जाने का निर्णय सक्षम स्तर पर लिये जाने के उपरांत प्रभारी अधिकारी आवश्यक अभिलेख/दस्तावेज सहित अपील की समयावधि के भीतर अथवा अधिक से अधिक 7 दिवस मे, जो भी पहले हो पैनल अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील दायर करवाना सुनिश्चित करेंगें।

7. यदि निगम प्रबंधन द्वारा अपील /नो अपील का निर्णय किसी प्रकरण में लिया जा चुका है तो समान प्रकृति के प्रकरण में पूर्व निर्णय के अनुसार अपील/नो अपील का निर्णय लिया जा सकेगा।
8. सभी नियत्रंक अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह प्रतिमाह लम्बित प्रकरणो की समीक्षा करते हुये प्रभारी अधिकारियों से उनकी वर्तमान स्थिति प्राप्त करते रहेगें। इस संबंध में निगम के विभिन्न विभाग प्रभारी अधिकारियों को समय समय पर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश जारी करेंगें एवं यदि प्रभारी अधिकारी की कोई समस्या हो तो उसका निस्तारण करेंगें। यदि प्रभारी अधिकारी को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने/शपथ पत्र प्रस्तुत करने/यात्रा भत्ता अग्रिम की आवश्यकता हो तो नियमानुसार प्रभारी अधिकारी को राशि उपलब्ध करवायेंगे।
9. विलम्ब से अपील प्रस्तुत किये जाने की स्थिति मे नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह प्रभारी अधिकारी/ अन्य किसी सक्षम अधिकारी के माध्यम से विलम्ब को क्षमा कराने के युक्तियुक्त कारणो सहित विलम्ब को क्षमा कराने का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत करावें साथ ही विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी /कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करके ऐसे दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही से प्रबंध निदेशक को अवगत करावें।

उपरोक्त निर्देशो की संबंधित अधिकारियो द्वारा नियमित तौर से पालना की जायें। उपर्युक्तानुसार पालना में यदि लापरवाही बरती जाती है तो निगम प्रबंधन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

07/12/2015

(गौरव बजाड़)
सलाहकार (एएण्डएग)